वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 42

राजस्व विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2005-2006 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		...	66.44	66.44	...	109.45	109.45	...	5068.26	5068.26
पूंजी		*...*	*5.05*	*5.05*	*...*	*5.05*	*5.05*	*...*	*5.05*	*5.05*
जोड़		**...**	**71.49**	**71.49**	**...**	**114.50**	**114.50**	**...**	**5073.31**	**5073.31**
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052	...	42.90	42.90	...	43.13	43.13	...	48.72	48.72
2. मूल्य वर्धित कर योजना का कार्यान्वयन	2052	...	0.01	0.01	...	6.50	6.50	...	17.00	17.00
3. कर सूचना विनिमय प्रणाली का गठन	2052	...	0.01	0.01	...	5.00	5.00	...	6.00	6.00
अन्य राजकोषीय सेवाएं										
4. प्रवर्तन निदेशालय	2047	...	18.40	18.40	...	17.40	17.40	...	19.00	19.00
5. राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान	2047	...	2.06	2.06	...	1.96	1.96	...	2.06	2.06
6. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	2047	...	0.18	0.18	...	0.28	0.28	...	0.28	0.28
7. अन्य व्यय	2047	...	9.32	9.32	...	9.16	9.16	...	10.97	10.97
अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
8. स्वापक नियंत्रण	2070	...	11.48	11.48	...	11.46	11.46	...	11.95	11.95
9. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि	2070	...	0.65	0.65	...	0.65	0.65	...	0.65	0.65
10. औषधि दुरुपयोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि को अंतरण	2070	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
अन्य उद्योग										
11. अफीम और एल्कालायड कारखाने										
11.01 राजस्व व्यय	2875	...	227.55	227.55	...	236.23	236.23	...	206.36	206.36
11.02 घटाइए-राजस्व प्राप्तियां	0875	...	-285.00	-285.00	...	-260.00	-260.00	...	-260.00	-260.00
11.03 *निवल*		...	-57.45	-57.45	...	-23.77	-23.77	...	-53.64	-53.64
11.04 पूंजी व्यय	4875	...	4.05	4.05	...	4.05	4.05	...	4.05	4.05
12. मुख्य नियंत्रक, सरकारी अफीम तथा एल्कालायड कारखाने	2875	...	0.52	0.52	...	0.48	0.48	...	0.46	0.46
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क										
13. अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर संग्रह	2045	...	36.00	36.00	...	35.00	35.00	...	3.00	3.00
14. विदेश यात्रा कर संग्रह	2045	...	1.00	1.00	...	0.90	0.90	...	0.45	0.45
आय और व्यय पर करों का संग्रह										
15. अन्य व्यय	2020	...	0.36	0.36	...	0.30	0.30	...	0.36	0.36
16. तैयार निर्मित आवास की खरीद										
16.01 कार्यालय भवन	4216	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
17. मूल्यवर्धित कर लागू करने के कारण राजस्व हानियों के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति	3601	...	...	...	...	...	...	...	5000.00	5000.00
कुल जोड़		***...***	***71.49***	***71.49***	***...***	***114.50***	***114.50***	***...***	***5073.31***	***5073.31***

1. इसके अन्तर्गत राजस्व विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है जिसमें केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, वित्त आसूचना एकक तथा तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति की जब्ती) अधिनियम तथा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी शामिल हैं।

2. 12 विशिष्ट श्रेणी तथा नव सृजित राज्यों के संबंध में मूल्य वर्धित कर (वैट) की ओर संचलन करने के अंततः लक्ष्य के साथ बिक्री कर विभाग के आधारभूत ढांचें के सशक्तीकरण हेतु प्रावधान किया गया है।

3. यह प्रावधान 28 राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को, वैट प्रणाली की शुरूआत तथा उपकरणों की खरीद इत्यादि के संबंध में, जोड़ने के लिए एक कर सूचना विनिमय प्रणाली का गठन करने तथा अधिकार प्राप्त समिति/वैट परिषद की बैठकें आयोजित करने पर होने वाले विविध व्ययों के लिए सहायता अनुदान के रूप में किया गया है।

4. इसमें प्रवर्तन निदेशालय के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रवर्तन से संबंधित है।

5. इसमें राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान को उसके स्थापना संबंधी व्यय के लिए सहायता अनुदान देने के लिए प्रावधान किया गया है।

6. इसमें मनी लाडरिंग संबंधी एशियाई/प्रशांत समूह की सदस्यता के लिए वार्षिक अंशदान के लिए प्रावधान किया गया है।

7. इसमें तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अपीलीय न्यायाधिकरण तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए प्रावधान शामिल है।

8. इसमें केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के लिए प्रावधान शामिल है।

9. इसमें औषधि दुरुपयोग नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि, कर

प्रशासकों संबंधी राष्ट्रमण्डलीय एसोसिएशन, सीमाशुल्क परिषद और कोलंबो प्लान ब्यूरो के औषध परामर्शदात्री कार्यक्रम में अंशदान के लिए प्रावधान किया गया है।

10. यह प्रावधान राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि को निधियां अंतरित करने के लिए किया गया है।

11. यह अफीम उत्पादन की खरीद सहित गाजीपुर तथा नीमच स्थित अफीम फैक्टरियों और एल्कालायड कारखानों के निवल व्यय को दर्शाता है। केन्द्रीय सरकार अफीम की खेती पर सम्पूर्ण नियंत्रण रखती है तथा संसाधित करने तथा चिकित्सीय और वैज्ञानिक जरुरतों के लिए बिक्री करने के लिए सारा उत्पादन खरीदती है।

12. यह प्रावधान मुख्य नियंत्रक के संगठन, सरकारी अफीम और एल्कालायड कारखानों के व्यय के लिए किया गया है।

13. अन्तर्देशीय वायु यात्रा कर देशीय वायु यात्रा करने वाले सभी यात्रियों से उद्ग्रहणीय था। यह कर कैरियरों द्वारा वसूल किया जाता था। यह प्रावधान कैरियरों को संग्रहण प्रभारों की बकाया राशि की अदायगी के लिए है जो संग्रहीत कर के 5% की दर पर आकलित किया जाता था। दिनांक 9 जनवरी, 2004 से यह कर समाप्त कर दिया गया है।

14. किसी यात्री द्वारा की गई अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के संबंध में विदेश यात्रा कर संदेय था। यह कर कैरियरों द्वारा वसूल किया जाता था जिसके लिए संग्रहित कर के 1/3 प्रतिशत संग्रहण प्रभार का उन्हें भुगतान किया जाता था। यह प्रावधान ऐसे प्रभारों की अदायगी के लिए किया गया है। यह कर 9 जनवरी, 2004 से समाप्त कर दिया गया है।

15. यह प्रावधान आयकर अधिनियम के अधीन गठित राष्ट्रीय आर्थिक और समाज कल्याण संवर्धन समिति के खर्चों को पूरा करने के लिए किया गया है।

16. यह प्रावधान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के लिए तैयार-निर्मित रिहायशी आवास खरीदने के लिए किया गया है।

17. यह प्रावधान वैट लागू होने के कारण राज्यों को होने वाली राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति के लिए किया गया है।